न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 46/2022

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम धुवाड़िया (शिवपुरा), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री एन0 एस0 राजावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–04.06.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2077 में श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम धुवाड़िया (शिवपुरा), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम धुवाड़िया के सिवायचक आराजी खसरा संख्या 598 कुल रकबा 2.78 हैक्टर किस्म बीड़ में से रकबा 1.70 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध नायब तहसीलदार पीसांगन के न्यायालय में राज्य प्रकरण संख्या 139/2020 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 22.10.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 22.10.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताइ. करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का धुवाड़िया की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2020 के आधार पर नायब तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 139/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर विवादित आराजी पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्ध आगामी पेशी दिनांक 15.09.2020

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

के नोटिस जारी किये गये। उक्त दिनांक को अपीलान्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। इसी दौरान कोविड–19 के तहत संक्रमण का प्रभाव होने से न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया एवं पक्षकारान को राज्य सरकार व उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 14.10.2020 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब हेतु अन्तिम अवसर देते हुए आगामी पेशी दिनांक 22.10.2020 नियत की गई किन्तु उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट की बेदखली का आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया। उन्होने कथन किया कि तहसील क्षैत्राधिकार विभाजन के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण नायब तहसीलदार पीसांगन द्वारा दर्ज किया जाकर आदेशिका दिनांक 22.10.2020 तक उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल आदेश तहसीलदार पीसांगन द्वारा पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया विधि व क्षेत्राधिकार से वर्जित है। विधिक प्रावधानों व न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में साईक्लोस्टाईल आदेश/निर्णय किसी भी प्रकार से विधिमान्य नहीं है तथा बिना किसी विधिक आधार व कारण रहित पारित निर्णय आदेश 20 जाब्ता दीवानी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय की परिभाषा में नहीं माना गया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी उसके भू–स्वामियों की पैतृक खातेदारी व आधिपत्य की होना अवगत करवाते हुए चौसाला जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफलों की छायाप्रतियां नियत पेशी दिनांक 15.09.2020 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विस्तृत जवाब, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर चाहा किन्तु इसके उपरान्त भी किसी प्रकार का विवेचन व विश्लेषण किये बिना खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में विधिक त्रुटि कारित करते हुए एकपक्षीय आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी चौसाला जमाबन्दी में इन्द्राज के अनुसार अपीलान्ट के मूल खातेदार पीथा व नोला जाति रेगर की खातेदारी व आधिपत्य की पैतृक भूमियां रही है। इनके स्वर्गवास के पश्चात डगलाई व इन्द्रा पुत्रियां स्व0 श्री गणेश पौत्रियां स्व0 श्री पीथा जाति रेगर की खातेदारी व आधिपत्य की रही हैं। जिसकी दुरूस्ती किये जाने हेतु उक्त विधिक वारिसान द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष व प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी कार्यवाहियां सम्पादित की गई हैं। इन सभी तथ्यों की विधिवत जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि ग्राम धुवाड़िया स्थित भूमि चौसाला खसरा संख्या 317/1, 317/2, 317/3 एवं 317/5 अन्य आराजियात के साथ चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 के खाता संख्या 113 में इन्द्राज के अनुसार पीथा वल्द नोला जाति रेगर की खातेदारी भूमि रही है। जिसके वर्किंग खसरा संख्या 536 मिन, 537, 538 व 539 मिन कायम किये गये एवं वर्तमान खसरा संख्या 598 कायम किये गये हैं जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिये जाने से पारित आदेश एकपक्षीय व गैरकानूनी है। आक्षेपीय आदेश में राज्यादेश दिनांक 30.04.1971, 15.04.1977 व 25.04.1977 में प्रकरण को नियमन योग्य नहीं माना गया जबकि विवादित आराजी अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि होकर सन् 1958 से बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आने से उक्त राज्यादेश के साथ दिनांक 16.11.2021 को पारित राज्यादेश के तहत विवादित आराजी नियमन किये जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक विवेक प्रयोग किये बिना सरसरी तौर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपने उक्त कथनों के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान डी0एन0जे0 1995 पेज 208 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व आदेश 18 नियम 01 जाब्ता दीवानी में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पटवारी हल्का के किसी भी प्रकार से साक्ष्य लिपिबद्ध नहीं कर सीधे ही आदेश 20 सीपीसी के तहत निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से जवाब, सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा आर0आर0डी0 1994 पेज 215 व 505 एवं आर0आर0टी0 2007 (01) पेज 125 से 127 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कारित गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच कर विधिवत कार्यवाही किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा से स्पष्ट है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करवाने के पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत होती है एवं प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण होना सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते